



कार्यालय, प्रधानाचार्य, एस०एन० मेडिकल कॉलेज, आगरा।

Phone No: 0562-2260353, 2463880 Fax No: 0562-2260965

Website: www.snmcagra.in E-Mail: deansnmc@yahoo.in

संख्या: ई०सी०-१/विज्ञप्ति/२०२१/१८७

दिनांक : ०८ मार्च, २०२१

-विज्ञप्ति-

उ०प्र० शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-१, लखनऊ के शासनादेश संख्या-४६६१/७१-१-०८-जी-६३/२००८, दिनांक १५.१२.२००८ एवं उक्त शासनादेश के क्रम में समय-समय पर पारित अन्य संविदा शासनादेशों एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ के पत्र संख्या-एम०ई०-२/२०१५/१९१६, दिनांक २१.०९.२०१५ एवं इस कार्यालय के नोटिस संख्या-विज्ञप्ति/ई०सी०-१/२०१९/३५३, दिनांक २१.१२.२०१९ के द्वारा दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में इस चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विशिष्टताओं में आचार्य, सह-आचार्य तथा सहायक आचार्य के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु साक्षात्कार (Walk-in-Interview) दिनांक ०९.०३.२०२१ (मंगलवार) को शैक्षणिक ब्लॉक (एस०पी०एम० विभाग), एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा के एल०टी०-३ में प्रातः ११ बजे से सायं ०१ बजे के मध्य सम्पन्न होगा।

इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार के समय Medical Council of India, Minimum Qualification for Teachers as per Medical Institutions Regulations, १९९८ के मानकों के अनुसार अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं शैक्षिक/जाति/अनुभव/शोध/आधार कार्ड/पैन कार्ड पत्रों की (स्व-प्रमाणित) छायाप्रतियों के ०१ सेट बायोडाटा एवं ०१ पासपोर्ट फोटों सहित साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित हों। इस यात्रा हेतु किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। रिक्त पदों की संख्या नीचे तालिका में दर्शायी जा रही है तथा पदों की संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकती है-

Sr. No.	Department	Professor				Associate Professor				Assistant Professor			
		GEN	OBC	SC	EWS	GEN	OBC	SC	EWS	GEN	OBC	SC	EWS
1.	Orthopaedics	-	1*	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
2.	Ophthalmology	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
3.	Emergency Medicine	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Anatomy	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5.	Community Medicine (SPM)	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1***	1
6.	Cardiology	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
7.	Cardio-Vascular & Thoracic Surgery	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
8.	General Medicine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
9.	General Surgery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
10.	Transfusion Medicine	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
11.	Dermatology, Venereology and Leprosy	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
12.	Nuclear Medicine	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Neuro Surgery	-	1**	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14.	Paediatrics	-	-	1	-	-	2	1	1	-	1	-	-
15.	Pharmacology	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
16.	Physiology	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17.	Pathology	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
18.	Biochemistry	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
19.	Urology	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20.	Microbiology	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
21.	Radio-Diagnosis	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
22.	Psychiatry	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-
Total		03	05	03	01	05	11	06	01	03	08	05	02

नोट-पदों का विवरण निम्नवत् है-

*अस्थि रोग विशिष्टता में आचार्य (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी का ट्रोमा सेन्टर में सृजित है।

**न्यूरो सर्जरी विशिष्टता में आचार्य (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी का पद ट्रोमा सेन्टर में सृजित है।

***कम्युनिटी मेडिसिन विशिष्टता में सहायक आचार्य (अनुसूचित जाति) श्रेणी का पद स्टेडिशन में सृजित है।

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् हैं:-

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश संख्या-104/2019/5044(1)271-1-2019-जी-63/2008, दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियत वेतन (आचार्यो रू0 135000, सह-आचार्यो रू0 120000 एवं सहायक आचार्यो रू0 90000) प्रतिमाह होगा। वेतन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
2. शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव/आयु सीमा अध्यापकों की सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) नियमावली 2005, 2018 एवं 2020 में निहित के अनुसार होगी तथा चिकित्सा शिक्षकों के सेवानिवृत्तिक पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते हैं।
3. ओपी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे एवं प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में आकरिमक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा ड्यूटी उपलब्ध रहना होगा।
4. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है तथा चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा। समय-समय पर आरक्षण हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।
5. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को करार के 15 दिवस के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
6. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
7. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि "उनके विरुद्ध माननीय न्यायलय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी"।
8. उक्त संविदा पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रधानाचार्य की संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से की जानी है। अन्तिम चयन की प्रक्रिया शासन/महानिदेशालय में ही निहित होगी।

प्रधानाचार्य,
एस0एन0 मेडिकल कालेज,
आगरा।

संख्या एव दिनांक तद्

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर/प्रयागराज/झॉंसी/गोरखपुर/मेरठ/कन्नौज/अम्बेडकरनगर/आजमगढ़/सहारनपुर/बंदोयू/बोंदा/जालौन।
4. एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के नोटिस बोर्ड/सूचना पट हेतु।

प्रधानाचार्य,
एस0एन0 मेडिकल कालेज,
आगरा।